उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या-5/2016/आडिट-595/दस-2016-351(5)/2011
लखनऊ :: दिनांक 8 मार्च, 2016

कार्यालय-आदेश

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के निम्न उप निदेशकों (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600) को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ प्रदान किये जाने हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 21-1-2016 की संस्तुतियों के अनुसार, उक्त अधिकारियों के नाम के सम्मुख कालम-9 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-4 वेतनमान रू0 37400-67000, ग्रेड वेतन रू0 8700 प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0/ ज्ये0क्र0	अधिकारी का नाम/पदनाम	जि0ले0प0अ0 के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि	स0नि0 के पद पर (8000-13500) में पदोन्नति की तिथि	स0नि0 पद पर 8 वर्ष की सेवा पर 10000-15200 का वेतनमान स्वीकृत होने की तिथि	उ0नि0 पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	रू0 7600/- ए0सी0पी0 स्वीकृति की तिथि (कनिष्ठ के आधार पर	शा0देश दिनांक 05-11-14 के प्रस्तर-4(11) की व्यवस्थानुसार संशोधित द्वितीय ए0सी0पी0 की तिथि	26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में देय वेतन बैण्ड-4, वेतनमान रू0 37400-67000 एवं ग्रेड पे रू0 8700 की देयता तिथि
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1/29	श्री रमेश पाण्डेय, उप निदेशक	21-2-88	23-2-96	24-2-04	30-1-09	19-10-12	21-2-12	21-2-14
2/30	श्री ओम प्रकाश उपाध्याय, उप निदेशक	09-12-88	31-1-96	01-2-04	31-1-09	19-10-12	31-1-12	09-12-14
3/32	श्री दिनेश सिंह, उप निदेशक	31-8-89	27-1-96	28-1-04	08-11-10	19-10-12	27-1-12	31-8-15

(श्री राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2016/आडिट-595(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) उप स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, लखनऊ मण्डल/इलाहाबाद।

(4) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।

(6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 ।

(7) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।